राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 6, शुक्रवार, शाके 1937–मार्च 27, 2015
Chaitra 6, Friday, Saka 1937– March 27, 2015

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

संसदीय कार्य विभाग

आदेश

जयपुर, मार्च 27, 2015

विषय :– मा. अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा के निर्वाचन पर वैवेविक अनुदान/स्वेच्छानुदान (Discretionary Grant) को विनियमित करने वाली संशोधित स्कीम (Revised Scheme) एवं राशि बढाने बाबत।

संख्या प.7(2)संसद/06 :– उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के निर्वतन पर स्वेच्छानुदान/ विवेकानुदान (Discretionary Grant) की राशि रु.5.00 लाख से बढ़ाकर रु. 10.00 लाख किए जाने की एवं स्वेच्छानुदान/विवेकानुदान हेतु नियमावली के स्थान पर रिवाइज्ड स्कीम पर निम्नानुसार राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

(1) संसदीय कार्य विभाग की स्वीकृति आदेश संख्या एफ2(1) एल/67 दिनांक 21–09–1967 तथा दिनांक 04–01–1969 एवम् समसंख्यक स्वीकृति पत्र दिनांक 02–02–2012 एवं प. 8 (2) संसद/80 दिनांक 19–10–2000 द्वारा जारी अधिसूचना के अतिकमण में मानवीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा के निर्वतन पर स्वेच्छानुदान/विवेकानुदान (Discretionary Grant) की राशि रु. 5.00 लाख से बढाकर, रु. 10.00 लाख किये जाने की वित्तीय सहमति के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय निन्न शर्तों के आधार पर राशि दे सकेंगे। :–

(i) किसी विशेष चिकित्सा संबंधी कार्य हेतु,

(ii) निर्धन एवं असहाय महिला अथवा वृद्ध व्यक्ति को सहायता,

(iii) निर्धन एवं असहाय व्यक्ति अथवा विधवा के आश्रित बच्चों के पालन अथवा शिक्षा के लिए,

(iv) किसी शैक्षिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, संसदीय या संवैधानिक संस्थाओं को अथवा उक्त संस्थाओं में शैक्षिक,प्राविधिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, संसदीय या संवैधानिक कार्य के लिए,

(v) निर्धन विद्यार्थियों को शैक्षिक व्यय वहन करने हेतु,

(vi) अग्नि, बाढ़, दुर्घटना, अथवा देवीय प्रकोपों से पीड़ित व्यक्तियों के सहायतार्थ,

(vii) निर्धन व्यक्तियों को पुत्रियों के विवाह में सहायता के लिये,

(viii) विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा विशेष 'मेरिटोरियस' कार्य करने पर 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को नकद पुरस्कार देने के संबंध में,

(ix) विधान सभा के सत्र के देर रात तक चलने पर अधिकारियों/कर्मचारियों को रिफ्रेशमेंट हेतु राशि स्वीकृति करने हेतु।

(x) निम्नांकित सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिए :–

(a) बाल विवाह की रोकथाम,

(b) विधवा विवाह,

(c) छूआछूत उन्मूलन,

(d) परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा

(e) वृक्षारोपण,

(f) शिक्षा एवं साक्षरता को बढावा और

(g) स्वयं सेवी संगठनों को मदद आदि।

(2) स्वेच्छानुदान/विवेकानुदान से किसी व्यक्ति/संस्था को अधिकतम रु. 10,000/- स्वीकृत किये जा सकेंगे।

(3) स्वेच्छानुदान/विवेकानुदान पर रखी गयी राशि में से बची हुई राशि को आगे अगले वर्ष में अग्रेषित (cary forward) नहीं किया जावेगा अर्थात् वितीय वर्ष में किया जा सकेगा।

(4) माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा तत्काल सहायता पहंचाने के उद्देश्य से उन्हें स्वेच्छानुदान/विवेकानुदान में रखी गयी राशि में से रु. 50,000/- एक मुश्त अग्रिम स्वीकार किये जा सकेंगे अथवा स्वयं अध्यक्ष महोदय द्वारा इस आदेश में वर्णित शर्तों के अध्यधीन वितरित की गयी राशि का पुनर्भरण भी किया जा सकेगा, जिसका समायोजन सहायता प्राप्तकर्ता के द्वारा दी गई रसीद के आधार पर किया जावेगा।

(5) स्वेच्छानुदान/विवेकानुदान हेतु किसी व्यक्ति/संस्था को राशि रु. 5,000/- तक की सहायता नकद एवं राशि रु. 5,000/-से अधिक की सहायता चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्रदान की जावेगी। उक्त योजना में यदि किसी महिला को सहायता प्रदान की जाती है, तो वह भामाशाह योजनान्तर्गत भामाशाह कार्ड/प्लेटफार्म को आधार बनाकर भुगतान किया जावेगा।

(6) उपरोक्त व्यय वितीय वर्ष 2015-16 के बजट मद 2011-संसद/राज्य/संध/राज्य क्षेत्र विधान मण्डल, 02- राज्य/संध राज्य क्षेत्र विधान मण्डल, 101- विधान सभा,(02)- अध्यक्ष द्वारा स्वेच्छानुदान की राशि (आयोजना भिन्न) से प्रभार्य होगा। स्वेच्छानुदान के सभी व्यय अनावर्तक प्रकार के होगें और महालेखाकार, राजस्थान या उनके प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जिसे स्वेच्छानुदान स्वीकृत करने के आदेश की एक प्रतिलिपि राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा भेजी जाएगी, उनकी लेखा परीक्षा की जाएगी।

(7) रिवाइज्ड स्कीम को दिनांक 01-04-2015 से लागू किया जावेगा।

(8) यह स्वीकृति मुख्यमंत्री महोदया से अनुमोदित वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101500164 दिनांक16-03-2015 द्वारा प्रदत सहमति के आघार पर प्रसारित की जाती है।

(9) उक्त आदेश मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 63/2015 दिनांक 26-03-2015 की पालना में जारी किये जा रहे है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।